

मु० न०:- 139 / 2023

तारीखरजू:- 29/8/23

उनवान:- मिश्रया बनाम मंगल
दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
29/8/23	<p>वादी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 22.09.2023 को पेश हो।</p> <p>(सुनीता मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी</p> <p>3950-61 29/8/23</p>
22/9/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठसज अधिकारी ... के व्यवहारे हैं। गतानुसार दिनांक 11.10.23 को पेश हो।</p>
11/10/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठसज अधिकारी ... के व्यवहारे हैं। गतानुसार दिनांक 08.12.23 को पेश हो।</p>
08.12.23	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठसज अधिकारी ... के व्यवहारे हैं। गतानुसार दिनांक 24.1.24 को पेश हो।</p>
24/1/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी न०। लगाने की ओर से श्री रामशरोती गुप्ता एडवो ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। वास्ते जबाब पेश करने दिनांक 11.3.24 को पेश हो।</p>



